मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2013-कार्तिक 24, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम जतेश कुमार था, जिसे बदलकर जितेश कालरा S/o मंगल दस कालरा रख लिया है. अत: मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(जतेश कुमार)

नया नाम :
(जितेश कालरा)
S/o मंगल दस कालरा,
32-बी, वीर सावरकर नगर,
जी-1, संदीप हेरिटेज, इन्दौर.

(427-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति रेखा भारतीय, निवासी—एम.आय.जी. ए-1/13, आवास नगर, देवास शादी के पूर्व रुकमणी शर्मा के नाम से जानी जाती थी. शादी के पश्चात् मेरा नाम श्रीमति रेखा भारतीय हो गया है. अब मुझे श्रीमति रेखा भारतीय के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(रुकमणी शर्मा)

नया नाम :
(रेखा भारतीय)

(425-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने मेरा नाम उम्मेदी लाल जाटव से सुमेध जग्रवाल परिवर्तित कर लिया है, भविष्य में मुझे सुमेध जग्रवाल के नाम से ही पढ़ा जाए एवं जाना जाए.

पुराना नाम :
(उम्मेदी लाल जाटव)

नया नाम :
(सुमेध जग्रवाल)
निवासी—बी-613, एन.एफ.एल.
विजयपुर, गुना (म. प्र.).

(426-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जोबट, जिला अलीराजपुर

प्र. क्र. 01/बी-113/2013-14.

फॉर्म नंबर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अंतर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जोबट के समक्ष.

आवेदक हाजी अब्दुल मसीद पिता इस्माईल खत्री, अध्यक्ष मदरसा ए-रियाजुलजन्ना ट्रस्ट, जोबट , जिला अलीराजपुर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत ''मदरसा-ए-रियाजुलजन्ना ट्रस्ट'' जोबट को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन करने बाबत् आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस प्रकाशन के 01 माह की अवधि के भीतर दो प्रतियां में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा अभिभाषक के जरिये न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करे. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. मीना,

(609) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास, खाचरौद, जिला उज्जैन

दिनांक 20 सितम्बर, 2013

प्र. क्र. /बी-113/12-13.

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (क्र. 30 सन् 1951) और (51) संशोधित 1952 के अंतर्गत]

आवेदक बजरंगदास पिता श्री कन्हैयादास, निवासी रतलाम रोड, खाचरौद, तहसील खाचरौद द्वारा (श्री बजरंग व्यायाम शाला, रतलाम रोड, खाचरौद) को सार्वजनिक न्यास पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जात है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर न्यायालयीन कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात् किसी भी दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता एवं चल/अचल संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	..	श्री बजरंग व्यायाम शाला, खाचरौद, जिला उज्जैन म.प्र.
चल सम्पत्ति	..	मंदिर की पूजा अर्चना के बर्तन
अचल सम्पत्ति	..	नहीं है (निरंक)

दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रजनीश श्रीवास्तव,

(610) अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 06 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र (अंतिम अवसर) स्मरण-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए (1) के परन्तुक के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

एवं सदस्यगण (समस्त)
महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., खाचरौद,
पता- 59, सागरमल मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन,
द्वारा :— उपायुक्त सहकारिता, जिला-उज्जैन.

क्र./परि./2013/1268.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2013/1247, उज्जैन, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., खाचरौद (पंजीयन क्र. 1762, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010) का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क (1) के अंतर्गत पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही के संबंध में संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल तथा सदस्यों को इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 06 नवम्बर, 2013 नियत की गई थी. उपरोक्त अनुसार नियत दिनांक को कोई भी पदाधिकारी अथवा सदस्य अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित नहीं हुआ.

अत: इस संबंध में पुन: पक्ष समर्थन एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु दिनांक 13 नवम्बर, 2013 नियत की जाती है. नियत दिनांक तक अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर संस्था का सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18- ए (1) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा एवं 18-ए (2), (3) के तहत शासकीय समनुदेशिती की नियुक्ति कर दी जाएगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र (स्मरण-पत्र) आज दिनांक 06 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. पी. मारण,

(612) संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3013.—दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1192, खण्डवा, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 बहिर्गामी संचालक मण्डल अधिनियम की धारा-49 (8) (2) के प्रवाधान अनुसार नवीन निर्वाचन कराने से असफल रहने के कारण अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत श्री एम. एल. अरणे, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था के द्वारा वर्ष 2008-09 में सभी सदस्यों को अंशपूंजी वापस कर दी गई है एवं सदस्य संख्या भी शून्य कर दी गई है. संस्था के पास-भूमि भी नहीं है तथा सदस्य संख्या एवं अंशपूंजी शून्य के स्थिति विवरण पत्रक भी सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा निर्गमित कर दिये गये हैं. यद्यपि सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा उक्तानुसार अंकेक्षण टीप/वित्तीय पत्रक निर्गमित करना विधि अनुसार ही था. किंतु वर्ष 2008-09 से लगातार उपरोक्तानुसार वित्तीय पत्रक निर्गमित होने से संस्था का बाडी कारपोरेट होना ही प्रश्नांकित हो गया है. अतएव संस्था को परिसमापन में लाया जाना अपरिहार्य हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1192 खण्डवा, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों/सदस्यों को अवसर प्रदत्त है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि किसी को भी उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3015.—नवीन आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1191, खण्डवा, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/2011/926, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के द्वारा श्री आर. के. ओझा, वरि. सह. निरी. को रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया था.

रिटर्निंग आफीसर के पत्र दिनांक 06 जून, 2013 के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के अधिकांश सदस्य कार्यक्षेत्र के बाहर चले गये हैं तथा शेष सदस्यों की संस्था के संचालन में रूचि नहीं होने से निवर्तमान अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचन कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुए पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है.

इस प्रकार संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए नवीन आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1191, खण्डवा, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-A)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3016.—दादाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सुरगांवजोशी, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1987 खण्डवा, दिनांक 26 जुलाई, 2007 की अंकेक्षण टीपों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पंजीयन के समय से निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृति होने से अंकेक्षक के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. इस प्रकार निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना अपरिहार्य हो गया है .—

1. संस्था अकार्यशील होकर अपने सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य करने में असफल रही है.
3. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधान अनुसार कार्य करने में उपेक्षावान है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दादाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सुरगांवजोशी, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1987 खण्डवा, दिनांक 26 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3017.—आदर्श वैष्णव अधिकारी कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1873 खण्डवा, दिनांक 15 नवम्बर, 2002 का बहिर्गमी संचालक मण्डल निर्धारित समयावधि निर्वाचन कराने में असफल रहने पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/33, दिनांक 05 जनवरी, 2011 के द्वारा श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक को संस्था के संचालक मण्डल के स्थान पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालयीन समीक्षा बैठक में संस्था के प्रभारी अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के अध्यक्ष से सम्पर्क करने पर उन्होनें सदस्यों के द्वारा संस्था के संचालन में रूचि नहीं लेने से निर्वाचन कराने में असमर्थता व्यक्त की. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन से संस्था अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों की पुनरावृति होना पाया गया. अंकेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. इस प्रकार निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना अपरिहार्य हो गया है .—

1. संस्था अकार्यशील होकर अपने सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य करने में असफल रही है.
3. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के प्रावधान अनुसार कार्य करने में उपेक्षावान है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए आदर्श वैष्णव अधिकारी कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/ 1873 खण्डवा, दिनांक 15 नवम्बर, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-C)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3020.—अलंकार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1573 खण्डवा, दिनांक 21 फरवरी, 1995 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया

गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रूचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए अलंकार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1573 खण्डवा, दिनांक 21 फरवरी, 1995 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-D)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3021.—नवयुवक मांझी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., खिराला, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1961 खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2006 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम, की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रूचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए नवयुवक मांझी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., खिराला, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1961 खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2006 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-E)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3022.—नीलकंठेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1206 खण्डवा, दिनांक 31 मार्च, 1980 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम, की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रूचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए नीलकंठेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1206 खण्डवा, दिनांक 31 मार्च, 1980 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-F)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3023.—महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1601 खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2005 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम, की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रूचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1601 खण्डवा,

दिनांक 06 नवम्बर, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-G)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3024.—जनचेतना यातायात सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1563 खण्डवा, दिनांक 23 जनवरी, 1995 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम, की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रूचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जनचेतना यातायात सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1563 खण्डवा, दिनांक 23 जनवरी, 1995 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-H)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3025.—लक्ष्मी माता खनिज एवं ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए/1674 खण्डवा, दिनांक 03 सितम्बर, 1998 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम, की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने

उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी माता खनिज एवं ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1674, खण्डवा, दिनांक 03 सितम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-I)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3026.—जनसेवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1912, खण्डवा, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जनसेवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1912, खण्डवा, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-J)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3027.—प्रगति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1247, खण्डवा, दिनांक 18 जून, 1981 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए प्रगति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1247, खण्डवा, दिनांक 18 जून, 1981 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-K)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3028.—दादाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1687, खण्डवा, दिनांक 31 मार्च, 1999 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दादाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1687

खण्डवा, दिनांक 31 मार्च, 1999 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-L)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3029.—जय जगदम्बा विस्थापित ग्राम बडकेश्वर मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1926, खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2004 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अतः निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय जगदम्बा विस्थापित ग्राम बडकेश्वर मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1926, खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-M)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3030.—नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पुनासा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1647 खण्डवा, दिनांक 04 मार्च, 1997 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई

भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पुनासा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1647, खण्डवा, दिनांक 04 मार्च, 1997 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(611-N)

खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

क्र.परि./2013/3031.—शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1843 खण्डवा, दिनांक 07 फरवरी, 2002 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1843, खण्डवा, दिनांक 07 फरवरी, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे?

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी/पूर्व पदाधिकारियों को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप पंजीयक.

(611-O)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2013-कार्तिक 24, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), बण्डा (सागर), पथरिया (दमोह), रामपुर-वधेलान, नागोद, उचेहरा, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, आगर, बड़ोद, शाजापुर, शुजालपुर (शाजापुर), थांदला (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, च. शेखर आजाद नगर, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर),बरही (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड, गोहद (भिण्ड), गुना (गुना), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), बिजावर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), हनुमना, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), कुसमी (सीधी), बड़नगर (उज्जैन), कालापीपल (शाजापुर), पेटलावद (झाबुआ), सोण्डवा (अलीराजपुर), बदनावर, डही (धार), रीठी (कटनी), निवास, घुघरी (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील शिवपुरी, बदरवास (शिवपुरी), निवाड़ी, पृथ्वीपुर (टीकमगढ़),लौण्डी, छतरपुर (छतरपुर), पन्ना, पवई (पन्ना), गढ़ाकोटा (सागर), सिरमौर (रीवा), जेतपुर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया),झाबुआ (झाबुआ), धार, मनावर (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), विदिशा (विदिशा), रायसेन (रायसेन), नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, परासिया, पांढुर्णा, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), श्योपुर, कराहल, (श्योपुर), अटेर, मेहगांव, लहार, मिहोना (भिण्ड), डबरा, भितरवार (ग्वालियर),सेवढ़ा (दतिया), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चंदेरी (अशोकनगर), राघोगढ़, बमोरी, आरोन, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), जतारा, टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, राजनगर, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नौर (पन्ना), बीना, खुरई, सागर, रेहली, देवरी, केसली राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), त्योंथर, मऊगंज, हजूर, गुढ़ (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, बुढार, गोहपारू (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिंहावल, मझौली (सीधी), सुवासराटप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, धुन्धड़का, मंदसौर, सीतामऊ, कयामपुर, शाहगढ़, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), मेघनगर, राणापुर (झाबुआ), सरदारपुर, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी (धार), खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर,

खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, ग्यारसपुर (विदिशा), गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, बाडी (रायसेन), भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचौली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल); सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोर, पाटन, मझौली, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बडवारा (कटनी), बिछिया, नैनपुर, मण्डला (मण्डला), जुन्नारदेव, जामई, सोंसर, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा, हर्रई (छिन्दवाड़ा) सिवनी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर, छपारा, धनौरा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील दतिया, भाण्डेर (दतिया), बड़ामल्हरा (छतरपुर), नेपानगर (बुरहानपुर), हुजूर (भोपाल), आष्टा (सीहोर), गोहरगंज, उदयपुरा (रायसेन), वनखेड़ी (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील बैरसिया (भोपाल), सीहोर, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मण्डला में जुताई व छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिंगरौली में फसल मक्का, सांवा, धान, उड़द, तुअर, कोदो व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोर, जबलपुर, मण्डला व कटनी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, शहडोल, झाबुआ, में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	88.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	58.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	97.0				
4. जौरा	84.0				
5. सबलगढ़	123.0				
6. कैलारस	92.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	106.0		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	63.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	32.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	113.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	28.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	30.0				
4. मेहगांव	66.7				
5. लहार	59.6				
6. मिहोना 7. रौन	128.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	16.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	75.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	64.0				
4. घाटीगांव	17.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	243.0		4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	297.0		उड़द, सोयाबीन, धान, मूँग, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	403.0		तुअर सुधरी हुईं.		
			(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	39.0		4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	163.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	103.0				
4. नरवर	87.0				
5. करैरा	160.0				
6. कोलारस	95.0				
7. पोहरी	129.0				
8. बदरवास	52.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	87.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	179.0		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	169.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	134.0				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	32.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघौगढ़	217.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	94.0				
4. आरोन	99.0				
5. चाचौड़ा	117.0				
6. कुम्भराज	147.0				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	47.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	36.0		सोयाबीन, तिल, मूंगफली, गन्ना,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	113.0		तुअर समान.		
4. टीकमगढ़	145.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	25.0				
6. पलेरा	63.0				
7. ओरछा	100.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	41.0		4. (1) तिल अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	74.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	68.9				
4. छतरपुर	40.2				
5. राजनगर	89.8				
6. बिजावर	30.0				
7. बड़ामलहरा	257.4				
8. बकस्वाहा	74.6				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	74.0		4. (1) मक्का, तुअर,सोयाबीन, आलू अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	42.8		धान, ज्वार, बाजरा उड़द, मूंग, तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	165.0		(2) . .		
4. पवई	53.0				
5. शाहनगर	22.6				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	170.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	143.2		उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	11.0		सोयाबीन समान.		
4. सागर	68.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	93.4				
6. देवरी	83.0				
7. गढ़ाकोटा	40.6				
8. राहतगढ़	119.0				
9. केसली	114.7				
10. मालथोन	143.6				
11. शाहगढ़	100.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	130.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	58.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	79.5				
4. पथरिया	13.0				
5. जवेरा	76.0				
6. तेन्दूखेड़ा	110.0				
7. पटेरा	64.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) धान कम. सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का, कोदों- कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	8.0				
4. नागौद	3.0				
5. उचेहरा	5.0				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	8.0				
8. मैहर	4.0				
9. बिरसिंहपुर	7.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	77.0		4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	35.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	73.6				
4. हनुमना	17.6				
5. हजूर	75.0				
6. गुढ़	70.0				
7.रायपुरकर्चुलियान	24.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	77.0		4. (1) मक्का, धान, उड़द, अरहर, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	108.0		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	78.0				
4. जैतपुर	51.0				
4. बुढार	59.0				
5. गोहपारू	150.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	62.1		4. (1) मक्का, धान, कोदों, सोयाबीन, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	53.3		(2) ..		
3. कोतमा	116.8				
4. पुष्पराजगढ़	46.9				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	42.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	80.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	54.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	74.2		4. (1) ज्वार, धान, कोदों-कुटकी,तिल, , तुअर,मूँग, उड़द, कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	104.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	118.0				
4. कुसमी	29.8				
5. चुरहट	14.5				
6. रामपुरनैकिन	8.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का, सांवा, धान, उड़द, तुअर, कोदों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	78.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	155.8		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	157.0				
4. गरोठ	113.2				
5. धुन्धड़का	107.0				
6. मन्दसौर	109.0				
7. सीतामऊ	143.2				
8. शामगढ़	99.2				
9. संजीत	92.0				
10. कल्याणपुर	164.4				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	69.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	76.0		(2) . .		
3. तराना	74.0				
4. घटिया	99.0				
5. उज्जैन	92.0				
6. बड़नगर	30.2				
7. नागदा	106.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	10.0		4. (1) गेहूँ ,चना, राई-सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	4.0		(2) . .		
3. नलखेड़ा	4.3				
4. आगर	1.0				
5. बड़ौद	8.0				
6. शाजापुर	4.4				
7. शुजालपुर	3.0				
8. कालापीपल	20.0				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ ,चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	11.8	चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मूँगफली, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	80.0		मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	24.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. झाबुआ	38.0				
5. राणापुर	60.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	11.6		4.(1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. कट्टीवाड़ा	6.0		सोयाबीन,उड़द, कपास अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. अलीराजपुर	2.6		(2) . .		
4. सोण्डवा	34.0				
5. चन्द्रशेखर-आजाद नगर	6.4				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	31.0		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	93.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	39.3				
4. कुक्षी	81.9				
5. मनावर	50.0				
6. धरमपुरी	91.0				
7. गंधवानी	84.0				
8. डही	33.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
***जिला प. निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	46.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	154.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	253.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	101.5		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	97.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	138.5				
4. ब्यावरा	151.7				
5. सारंगपुर	124.5				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	151.3				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	131.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	57.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	223.0				
4. बासौदा	115.0				
5. नटेरन	107.0				
6. विदिशा	53.0				
7. ग्यारसपुर	135.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	658.4	चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूँगफली, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	260.4		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	895.8	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	449.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	740.0				
4. नसरुल्लागंज	751.0				
5. बुधनी	706.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	41.8		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	95.4		अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	73.6		मूँगफली, तिल.		
4. गोहरगंज	295.0		(2) . .		
5. बरेली	203.0				
6. सिलवानी	111.6				
7. बाड़ी	95.5				
8. उदयपुरा	273.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	81.8	चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	104.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	131.4				
4. चिचोली	152.4				
5. बैतूल	176.4				
6. मुलताई	81.2				
7. आठनेर	115.3				
8. आमला	130.5				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	114.6	चालू है.	4. (1) मूँग-मोंठ सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	110.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	234.0				
4. इटारसी	223.8				
5. सोहागपुर	223.0				
6. पिपरिया	151.2				
7. वनखेड़ी	275.9				
8. पचमढ़ी	210.0				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	112.2	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	79.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	130.0				
4. जबलपुर	79.9				
5. कुण्डम	136.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी खरीफ	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	67.4	फसल व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	18.0	चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बड़वारा	94.0				
4. विजयराघवगढ़	88.8				
5. बहोरीबंद	54.9				
6. ढीमरखेड़ा	65.0				
7. बरही	13.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	32.9	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	108.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	129.2				
4. मण्डला	118.8				
5. घुघरी	19.6				
6. नारायणगंज	37.5				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	38.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	60.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	39.0				
4. जामई (तामिया)	221.0				
5. सोंसर	127.2				
6. पांढुर्णा	47.8				
7. अमरवाड़ा	40.2				
8. चौरई	81.2				
9. बिछुआ	108.6				
10. हर्रई	98.8				
11. मोहखेड़ा	113.6				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	83.0	चालू है.	4. (1) मक्का अधिक. धान, ज्वार, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	46.3		उड़द, मूँग, मूँगफली, सोयाबीन	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	116.7		कम. तिल समान.		
4. बरघाट	136.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. कुरई	170.0				
6. घंसौर	93.0				
7. छपारा	59.1				
8. धनोरा	70.1				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	125.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	181.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	92.0				
4. वारासिवनी	116.0				
5. कटंगी	83.4				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला नीमच, रतलाम, प. निमाड़, बड़वानी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(607)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.